

64



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, सागर केन्द्र, सागर मण्डल 30/

पुलिस अधीकारी/छतरपुर/भू.रा/2018/1533
इमित्याज बेा आत्मज रसीद बेा

निवासी- रवालियगंज, बिजावर, जिला

B-D-L
02 FEB 2018

छतरपुर म०प्र०

— पुनरीचाणकर्ता

विरुद्ध

म०प्र० शासन

(थाना प्रभारी थाना बिजावर)

— अनावेदक

पुनरीचाण अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश पुराजस्व संहिता 1959

आवेदक। पुनरीचाणकर्ता की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना
है :-

निम्न पुनरीचाण इमित्याज बेा रसीद बेा निवासी
रवालियगंज थाना बिजावर जिला छतरपुर भारा न्यायालय श्रीमान
कमिशनर साहब सागर सागर म०प्र० के अपील प्रकरण क्रमांक
246। बी-121। शस्त्र। 2013-14 में पारित आदेश दिनांक

18-12-2017 में अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग
करने में अवधिपूर्ण या सार्वान अनियमितता की है, से परिवेदित
होकर वह पुनरीचाण श्रीमान्नी के सम्बन्ध प्रस्तुत है :-

1- वह कि, पुनरीचाणकर्ता इमित्याज बेा आत्मज रसीद
बेा निवासी रवालियगंज जिला छतरपुर के नाम शस्त्र अनुशिष्ट क्रमांक
एम०पी०सी०स्च०पी०। 1। बिजावर। 8। रु। 2006 (12 बोर
दो नहीं बन्दूक) एवं दूसरा शस्त्र क्रमांक 8378। 12002 मरतल एक नहीं
बन्दूक (के भारा शस्त्रि स्वीकृत किये गये थे)

2- वह कि, पुलिस अधीकार छतरपुर के पत्र दिनांक

ADW.

-2-

न्यायालय को वह क्षेत्र था कि

(321) FO

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक भग-अ
२०।८।१५३३

क्र. इनिति अभियान विरुद्ध अभियान

तहसील जिला

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक तहसील का प्रकरण क्रमांक

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
26/२/१८	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. के विरुद्ध श्री <u>अनंजीज बड़ागी</u> के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुनरावलोकन अवधि बाहा है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/ रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p><u>प्रस्तुतिकार</u></p> <p>इच्छिक निधि श्री नाना ज छट्टामा उप. ३० होने प्रभाग विभास किए जाने हेतु छात्रों का कार्यालय छावनी क्षेत्र वा कार्यालय विभास किए जाएं। प्रभाग का विभास किए जाएं।</p> <p>पीछे देखिये</p> <p>२६।२।१८</p>	

३

२६।२।१८

राजस्व मण्डल